Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

शासकीय गोदामों में भण्डारण और खराबे का आर्थिक विश्लेषण (उज्जैन संभाग के संदर्भ में एक अध्ययन)

डॉ. मनु गौतम* लवकुश पाटीदार**

* एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) म. प्र. सामजिक शोध संस्थान, भरतपुरी, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान, भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र गेहूँ और चावल के शासकीय गोदामों के भण्डारण के विशेष संदर्भ में किया गया है। मध्यप्रदेश और भारत के लिए महत्व रखता है गेहूँ उत्पादन में मध्यप्रदेश का पहला स्थान है। प्रदेश के 35.49 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में गेहूँ अक्टूबर–नवम्बर में बोया जाता है तथा मार्च–अप्रैल में तैयार हो जाने पर फसल काट ली जाती है। गेहूँ की खेती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में होती है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ताप्ती और नर्मदा, तवा, गंजाल, हिरण आदि नदियों की घाटियों और मालवा के पठार की काली मिट्टी के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूँ पैदा किया जाता है। प्रदेश के होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, जबलपुर, गुना, सागर, ग्वालियर, निमाड़, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, झाबुआ, रीवा और सतना जिलों में गेहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 41 जिलों में चावल की खेती होती है। जिनमें से 2 जिले मध्यम उत्पादकता समूह के अंतर्गत हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. शासकीय गोदामों में 2018 से 2024 तक गेहूं के भण्डारण, किराया शुल्क एवं खराबे का अध्ययन करना।
2. शासकीय गोदामों में 2018 से 2024 तक चावल के भण्डारण, किराया शुल्क एवं खराबे का अध्ययन करना।

निदर्शन तथा तथ्य संकलन– प्राथमिक तथ्य संकलन में उज्जैन संभाग के सात जिलो के शासकीय भण्डारगृहों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक जिले से दो तहसील से दो–दो शासकीय भण्डारगृहों का चयन किया किया गया है जिसके अन्तर्गत कुल गोदाम की संख्या 28 हैं। उक्त गोदामों का व्यक्तिश: अवलोकन और फाईलों के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों एवं जानकारी का संकलन किया गया है।

उज्जैन जिला – उज्जैन जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 1843.97 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 40.56 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 446.7 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 12.95 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मो हेतु 946.96 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 20.83 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 220.1 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 6.39 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 1815.31 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 39.93 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 447.6 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 12.99 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

मंदसौर जिला – मंदसौर जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 3663.09 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 80.58 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 887.3 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.73 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मो हेतु 1881.15 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 41.39 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 437.2 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 12.67 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 3606.15 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 79.33 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 889.1 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.78 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

नीमच जिला – नीमच जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 9250.79 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 203.52 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 2241 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 64.99 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मो हेतु 4750.65 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 104.51 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 1104 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 32.02 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 9106.98 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 200.35 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 2245 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 65.12 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

रतलाम जिला – रतलाम जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 9979.87 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 219.56 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 2417 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 70.1 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मो हेतु 5125.07 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 112.75 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 1191 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 34.54 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 9824.71 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 216.15 मिट्रिक टन का खराबा हुआ

और 2422 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 70.25 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

शाजापुर जिला – शाजापुर जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 2291.11 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 50.41 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 555 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 16.9 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मों हेतु 1176.58 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.89 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 273.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 7.93 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 2255.48 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 49.62 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 556.1 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 16.13 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

आगर मालवा जिला – आगर मालवा जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 3573.26 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 78.61 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 865.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.1 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मों हेतु 1835.02 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 40.37 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 426.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 12.37 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 3517.72 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 77.39 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 867.3 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.15 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

देवास जिला – देवास जिले के चयनित चार गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 3623.18 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 79.71 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 877.6 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.46 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मों हेतु 1860.65 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 40.93 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 432.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 12.55 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 3566.86 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 78.47 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 879.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.5 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

उज्जैन संभाग – उज्जैन संभाग के चयनित 28 शासकीय गोदामों में 2018 से 2024 तक पाँच वर्ष में खाद्य सुरक्षा हेतु 34225.27 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 752.95 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 8290.1 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 170.32 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। कृषक समूहों, व्यापारियों तथा फर्मों हेतु 17576.08 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 386.67 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 4084.8 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 83.93 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। सहकारी समितियों हेतु 30314.71 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 666.91 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 7473.63 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 146.52 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

निष्कर्ष – उज्जैन जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु 1843.97 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 40.56 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और मंदसौर जिले में 3663.09 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 80.58 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 887.3 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.73 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। नीमच जिले में 9250.79 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 203.52 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 2241 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 64.99 मिट्रिक टन का खराबा हुआ रतलाम जिले में 9979.87 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 219.56 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 2417 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 70.1 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। शाजापुर जिले में 2291.11 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 50.41 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 555 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 16.9 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। आगर मालवा जिले में 3573.26 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 78.61 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 865.5 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.1 मिट्रिक टन का खराबा हुआ। देवास जिले में 3623.18 मिट्रिक टन गेहूँ संरक्षित किया गया था जिसमें से 79.71 मिट्रिक टन का खराबा हुआ और 877.6 मिट्रिक टन चावल संरक्षित किया गया था जिसमें से 25.46 मिट्रिक टन का खराबा हुआ।

सुझाव – यह सर्वविदित है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया धीमी और महंगी है। इसलिए, प्रभावी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम, मानव उपभोग के लिए उगाए और काटे गए अनाज को प्रभावी कीट प्रबंधन और वैज्ञानिक भंडारण द्वारा संरक्षित और संरक्षित करना है, और स्थानीय प्रसंस्करण विधियों में सुधार करके उपज के अंतर्निहित प्राकृतिक पोषण मूल्य को बनाए रखना है। अनाज भंडार में सुधार करके वर्तमान 10 प्रतिशत के नुकसान को कम किया जाए, तो देश हर साल तीन साल से अधिक उत्पादन इनपुट बचा सकता है। अनाज भंडारण हानि को कम करने की सभी रणनीतियों का आधार पर्यावरणीय कारकों – जैविक और भौतिक (तापमान और नमी) – का हेरफेर है, जो कीटों का सफाया कर देते हैं या ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जो उनके अस्तित्व और गुणन के लिए प्रतिकूल है। नमी की मात्रा को दुनिया भर में अनाज हानि का सबसे बड़ा कारक माना जा सकता है। इस बात पर और ज़ोर दिया जाना चाहिए, जहाँ राष्ट्रीय अनाज भंडारण एजेंसियों को बहुत अधिक नमी वाला अनाज बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वार्षिक प्रतिवेदन(2024)प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टाइफैक),नई दिल्ली।
2. मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (2024) 'प्रगति प्रतिवेदन,' उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश शासन, उज्जैन, पृष्ठ 23

****